सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 12, शुक्रवार, *शाके 1946*- अक्टूबर 04, *2024* *Asvina 12, Friday , Saka 1946 October 04, 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

सामान्य कानूनी नियम

शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 04, 2024

जी.एस.आर.48 :-राजस्थान राज्य के विस्तृत शैक्षिक क्षेत्र में स्काउट/गाइड अभियान और सम्बन्धित क्रियाकलापों को योजनाबद्ध रीति से चलाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा उनके निमित्त अनुदान के रूप में व्यय किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राज्य बजट में प्रावधान (अनुमानित) अलग निर्धारित किया जाता है। हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स, राजस्थान राज्य एसोसिएशन, मुख्यालय उदयपुर तथा इससे सम्बद्ध संघों को सहायतार्थ अनुदान के रूप में विनिमय के लिए राज्य सरकार निम्नांकित नियम बनाती है:-

अर्थात:-

हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स राजस्थान राज्य एसोसिएशन के सहायतार्थ

अनुदान नियम - 2024

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -

1. इन नियमों का नाम "हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स, राजस्थान राज्य एसोसिएशन के सहायतार्थ अनुदान नियम-2024'' होगा।

2. ये नियम इनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं -

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में:-

1. "नियम" का अभिप्रेत हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स, राजस्थान राज्य एसोसिएशन के सहायतार्थ अनुदान नियम, 2024 से हैं।

2. ''एसोसिएशन' से तात्पर्य हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स, राजस्थान राज्य एसोसिएशन से है।

3. "राज्य सरकार" से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
4. "राज्य परिषद" से तात्पर्य एसोसिएशन की सर्वोच्य समिति (साधारण सभा) से है। जिसका गठन हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स, राजस्थान राज्य, एसोसिएशन राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा पारित हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स नियमों के नियम- 51 से 53 एवं राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत किया गया है।
5. "समिति" से तात्पर्य हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स राजस्थान राज्य एसोसिएशन नियमों के नियम- 67 से 72 के अधीन गठित हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स, राजस्थान राज्य एसोसिएशन की कार्यकारी समितियों से है, जिनमें कार्यकारिणी समिति, वित्त समिति, योजना समिति, स्काउट/गाइड समिति, चयन एवं पदोन्नति समिति आदि सम्मिलित है।

3. अनुदान की सामान्य शर्तेः-

1. राज्य सरकार द्वारा एसोसिएशन के प्रस्ताव व राज्य की वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध निधियों पर विचार करते हुए संस्था हेतु स्काउट्स एवं गाइड्स की गतिविधियों हेतु सहायतार्थ अनुदान हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स, राजस्थान राज्य एसोसिएशन, मुख्यालय, उदयपुर को स्वीकृत किया जा सकेगा। यह अनुदान Schemes एवं Other than Schemes मदों में आवर्तक अथवा अनावर्तक व्यय के प्रस्तावों पर विचार कर स्वीकृत किया जा सकेगा तथा इन अनुदान नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुदान देय होगा।

2. राज्य सरकार समय-समय पर हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स, राजस्थान राज्य एसोसिएशन की आवश्यकताओं और उनके द्वारा प्रस्तुत विस्तार कार्यक्रमों/योजनाओं पर विचार करने के बाद इन नियमों के अन्तर्गत अनुदान की राशि एवं सीमाएं निश्चित करेगी।
3. एसोसिएशन को अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि को आय मानकर प्रति वर्ष बजट प्रस्तावों में सम्मिलित किया जायेगा तथा उक्त राशि उन्हीं कार्यो पर व्यय की जावेगी, जिनके लिए वह राशि प्राप्त हुई है। शून्य लाभ एवं शून्य हानि के आधार पर चलने के कारण इक्यिूपमेन्ट स्टोर की राशि आय की श्रेणी में नही मानी जावेगी।
4. एसोसिएशन के संचालन के लिए प्रतिवर्ष अनुदान (आवर्ती व्यय) दिया जा सकेगा। यह अनुदान वार्षिक आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा।
5. एसोसिएशन की प्रतिवर्ष योजना और गैर योजना मदों में अनावर्ती अनुदान प्रतिवर्ष स्वीकृत किया जा सकेगा। इसके लिए प्रस्ताव प्रतिवर्ष वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जावेंगे।

4. अनुदान स्वीकृति की शर्तें: -

1. हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स राजस्थान राज्य एसोसिएशन, मुख्यालय उदयपुर की सहायतार्थ अनुदान प्रतिवर्ष एक मुश्त सहायता (ब्लॉक ग्रांट) के रूप में स्वीकृत किया जा सकेगा।

2. सहायतार्थ अनुदान का भुगतान चार समान किश्तों में किया जा सकेगा।

3. अनुदान प्राप्त करने के लिए आवश्यक मांग पत्र राज्य सरकार के शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा।
4. अनुदान का एसोसिएशन द्वारा उन्हीं कार्यो में उपयोग किया जायेगा, जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है।
5. एसोसिएशन द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं गत वर्ष में प्राप्त अनुदान का चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित आय व्यय ब्यौरा प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर ही अगली अनुदान किश्त के भुगतान की स्वीकृति जारी की जावेगी।
6. एसोसिएशन की समस्त चल/अचल सम्पत्ति के बेचान, हस्तांतरण, खुर्द-बुर्द, परिवर्तन करने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति अनिवार्य होगी।
7. एसोसिएशन के लेखे एवं अन्य रिकॉर्ड महालेखाकार (लेखा परीक्षक) राजस्थान एवं राज्य सरकार के निदेशक, निरीक्षण विभाग या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित जांच दल को जांच हेतु उनकी मांग पर प्रस्तुत किये जायेंगे।
8. एसोसिएशन के स्काउट्स एवं गाइड्स की गतिविधियों के संचालन और वेतन व भत्तों के लिए आवर्ती व्यय हेतु बजट राशि आवंटन का निर्धारण वित्त विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष किया जा सकेगा।
9. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि नियमानुसार वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा संस्था के निजी निक्षेप खाते में स्थानान्तरित करायी जायेगी। निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते से राशि निकलवाने हेतु एसोसिएशन के राज्य मुख्य आयुक्त (स्टेट चीफ कमिश्नर) या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से चैक/बिल द्वारा कोषागार से प्राप्त की जा सकेगी। कोषागार से चैक/बिल पास कराकर, राशि एसोसिएशन के बैंक खाते में व्यय हेतु जमा करानी होगी।
10. एसोसिएशन के बैंक खाते से 1000/- रूपये से अधिक की राशि केवल चैकों के माध्यम से भुगतान की जायेगी।
11. एसोसिएशन अपने सम्बद्ध अन्य स्काउट/गाइड संघो को सहायतार्थ राशि अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए स्वीकृत कर सकेंगी।
12. लेखा सम्बन्धी कार्यो के लिए निष्पादन हेतु जहां पर एसोसिएशन के नियम बने हुए नही है, वहां एसोसिएशन शीघ्र नियम बनायेगी। जब तक नियम नही बनेगे तब तक सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (जी.एफ.एण्ड.ए.आर.) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। बनाये जाने वाले नियमों पर वित्त विभाग से स्वीकृति लेनी अनिवार्य है।
13. एसोसिएशन में नए पदों के सृजन, क्रमोन्नयत संबंधी प्रस्तावों पर राज्य सरकार की स्वीकृति लेनी होगी जो उन पर वित्त विभाग की सहमति लेगा।
14. भविष्य में "ट्रेंड (Trend) वृद्धि" नामक कोई व्यवस्था नहीं होगी।
15. एसोसिएशन द्वारा राज्य सरकार से अनुदान की मांग अधिकार के रूप में नही की जावेगी।

5. अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया:-

1. सहायतार्थ अनुदान प्राप्त करने हेतु एसोसिएशन के राज्य सचिव द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को आवेदन किया जावेगा।

2. सहायतार्थ अनुदान चार समान किश्तों में माह अप्रेल, जुलाई, अक्टूबर व जनवरी में वित्त विभाग की सहमति से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।
3. एसोसिएशन सहायतार्थ अनुदान की प्रथम किश्त हेतु आवेदन करने से पूर्व गत वर्ष की तृतीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में देगी। इसी प्रकार द्वितीय किश्त की मांग से पूर्व गत वर्ष की चतुर्थ किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा आय-व्यय के लेखों का अंकेक्षण ब्यौरा प्रस्तुत करेगी। तृतीय किश्त प्राप्त करने हेतु प्रथम किश्त एवं चतुर्थ किश्त प्राप्त करने हेतु द्वितीय किश्त की उपयोगिता प्रमाण-पत्र एसोसिएशन प्रस्तुत करेंगी।

6. नियमों में शिथिलता

इन नियमों के किसी भी प्रावधान में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

[संख्या प.4(1)शिक्षा-2/2023-05510]

राज्यपाल की आज्ञा से,

मनीष गोयल,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.